

(1) राजस्व अपील संख्या 335/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोंडेण्ट्स
1. श्रीमती चंचल मेहता पत्नी सुरेन्द्र मेहता जाति ओसवाल, निवासी भगत की कोठी विस्तार योजना, जोधपुर जरिये आम मुख्यार अक्षय मेहता पुत्र जे.एस. मेहता जाति ओसवाल, निवासी भगत की कोठी विस्तार योजना, जोधपुर		1. श्रीमती केसीदेवी पुत्री खेताराम पत्नी लिखमाराम जाति कुम्हार निवासी तनावडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
2. सुरेन्द्र मेहता पुत्र जे.एस.मेहता जाति ओसवाल, निवासी भगत की कोठी विस्तार योजना, जोधपुर जरिये आम मुख्यार अक्षय मेहता पुत्र जे.एस. मेहता जाति ओसवाल, निवासी भगत की कोठी विस्तार योजना, जोधपुर		2. श्रीमती दाखूदेवी पुत्री खेताराम पत्नी जोगाराम जाति कुम्हार निवासी राजू की ढाणी, शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
3. अक्षय मेहता पुत्र जे.एस. मेहता जाति ओसवाल, निवासी भगत की कोठी विस्तार योजना, जोधपुर		3. श्रीमती कमलादेवी पुत्री खेताराम पत्नी गुलाबराम जाति कुम्हार, निवासी ग्राम पाल, तहसील व जिला जोधपुर
4. इण्डोकॉल पावर वेन्चर प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर उदित ए. मेहता पुत्र अक्षय मेहता जाति ओसवाल, निवासी भगत की कोठी विस्तार योजना, जोधपुर		4. श्रीमती समूदेवी पुत्री खेताराम जाति कुम्हार, निवासी झालामण्ड, तहसील व जिला जोधपुर
		5. पप्पाराम पुत्र खेताराम जाति कुम्हार, निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
		6. श्रीमती फूली पत्नी खेताराम जाति कुम्हार, निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
		7. छोटादेवी पत्नी कालूराम जाति कुम्हार, निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
		8. सोहनराम पुत्र कालूराम जाति कुम्हार, निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
		9. मदनराम पुत्र कालूराम जाति कुम्हार, निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
		10. राजूराम पुत्र कालूराम जाति कुम्हार, निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
		11. पोलाराम पुत्र सांवलराम जाति कुम्हार, निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
		12. राकेशराम पुत्र कालूराम जाति कुम्हार, निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
		13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर



राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश अपर जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर दिनांक 27 मई 2014 राजस्व अपील संख्या 21/2013 श्रीमती केसीदेवी व अन्य बनाम पप्पाराम इत्यादि

उपस्थित—

1. श्री रामेश्वर दवे उपस्थित अधिवक्ता अपीलाण्ट्स की ओर से
2. श्री कानाराम गोदारा एवं श्री स्वर्णसिंह चम्पावत अधिवक्तागण रेस्पों. संख्या 1 से 4 की ओर से

अतिरिक्त सम्भागीय अधिकारी  
जोधपुर

3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 13 की ओर से
4. रेस्पो. संख्या 5 से 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित

(2) राजस्व अपील संख्या 446/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
1. श्रीमती चंचल मेहता पत्नी सुरेन्द्र मेहता जाति ओसवाल, निवासी भगत की कोठी विस्तार योजना, जोधपुर जरिये आम मुख्यार अक्षय मेहता पुत्र जे.एस. मेहता जाति ओसवाल, निवासी भगत की कोठी विस्तार योजना, जोधपुर		1. श्रीमती केसीदेवी पुत्री खेताराम पत्नी लिखमाराम जाति कुम्हार निवासी तनावडा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
2. सुरेन्द्र मेहता पुत्र जे.एस.मेहता जाति ओसवाल, निवासी भगत की कोठी विस्तार योजना, जोधपुर जरिये आम मुख्यार अक्षय मेहता पुत्र जे.एस. मेहता जाति ओसवाल, निवासी भगत की कोठी विस्तार योजना, जोधपुर		2. श्रीमती दाखूदेवी पुत्री खेताराम पत्नी जोगाराम जाति कुम्हार निवासी राजू की ढाणी, शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
3. अक्षय मेहता पुत्र जे.एस. मेहता जाति ओसवाल, निवासी भगत की कोठी विस्तार योजना, जोधपुर		3. श्रीमती कमलादेवी पुत्री खेताराम पत्नी गुलाबराम जाति कुम्हार, निवासी ग्राम पाल, तहसील व जिला जोधपुर
4. इण्डोकॉल पावर वेन्चर प्रा.लि. जरिये डायरेक्टर उदित ए. मेहता पुत्र अक्षय मेहता जाति ओसवाल, निवासी भगत की कोठी विस्तार योजना, जोधपुर		4. श्रीमती समूदेवी पुत्री खेताराम जाति कुम्हार, निवासी झालामण्ड, तहसील व जिला जोधपुर
		5. पप्पाराम पुत्र खेताराम जाति कुम्हार, निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
		6. श्रीमती फूली पत्नी खेताराम जाति कुम्हार, निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
		7. छोटादेवी पत्नी कालूराम जाति कुम्हार, निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
		8. सोहनराम पुत्र कालूराम जाति कुम्हार, निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
		9. मदनराम पुत्र कालूराम जाति कुम्हार, निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
		10. राजूराम पुत्र कालूराम जाति कुम्हार, निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
		11. पोलाराम पुत्र सांवलराम जाति कुम्हार, निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
		12. राकेशराम पुत्र कालूराम जाति कुम्हार, निवासी कांकाणी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
		13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर



अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध  
आदेश दिनांक 04 सितम्बर 2014 जो रिमाण्ड प्रकरण संख्या 9ए/2014  
श्रीमती केसीदेवी व अन्य बनाम पप्पाराम इत्यादि में तहसीलदार, लूणी  
द्वारा पारित करते हुए नामान्तरकरण संख्या 1551 ग्राम कांकाणी दिनांक 8  
सितम्बर 2014 पारित किया गया

## उपस्थित-

1. श्री रामेश्वर दवे उपस्थित अधिवक्ता अपीलाण्ट्स की ओर से
2. श्री कानाराम गोदारा एवं श्री स्वर्णसिंह चम्पावत अधिवक्तागण रेस्पो. संख्या 1 से 4 की ओर से
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 13 की ओर से
4. रेस्पो. संख्या 5 से 12 बावजूद सूचना अनुपस्थित

## निर्णय

दिनांक : 19 सितम्बर 2022

अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत अपील संख्या 335/2017 अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (प्रथम), जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 21/2013 केसीदेवी व अन्य बनाम पप्पाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 मई 2014 के खिलाफ दिनांक 11 सितम्बर 2014 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन भी किया गया।

इसी प्रकार अपीलाण्ट्स ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील संख्या 446/2017 अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम), जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 21/2013 केसीदेवी व अन्य बनाम पप्पाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 मई 2014 के अनुसरण में तहसीलदार लूणी द्वारा कार्यवाही करते हुए रिमाण्ड प्रकरण संख्या 9ए/2014 केसीदेवी व अन्य बनाम पप्पाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 04 सितम्बर 2014 एवं तदनुरूप स्वीकृत म्युटेशन संख्या 1551 ग्राम कांकाणी दिनांक 08 सितम्बर 2014 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 12 नवम्बर 2014 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन भी किया गया।

इन दोनों अपीलों के साथ अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति बाबत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी भी प्रस्तुत किये गये।

दोनों अपीलों से संबंधित पक्षकारान, वादग्रस्त आराजियात एवं प्रकरणों की विषयवस्तु एक समान होने के कारण उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सहमति से इन दोनों अपीलों को समेकित कर इनका निस्तारण एक साथ इस एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक संबंधित अपील पत्रावली के साथ संलग्न की जावे।

प्रकरण से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पो. संख्या 1 से 4 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत कर नामान्तरण संख्या 526 निरस्त किये जाने का निवेदन किया और जाहिर किया कि वर्तमान रेस्पो. संख्या 1 से 12 खेताराम के वारिसान है और उनकी पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 931 रकबा 29 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा संख्या 934 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा कुल रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा वाके मौजा कांकाणी में स्थित है, वर्तमान रेस्पो. संख्या 1 से 4 खेताराम की पुत्रियां है, रेस्पो. संख्या 5 खेताराम का पुत्र एवं रेस्पो. संख्या 6 खेताराम की पत्नी



उपस्थित-  
जोधपुर

है, खेताराम के दो अन्य पुत्रों का पूर्व में ही देहान्त हो चुका है, जिनके वारिसान का भी वादग्रस्त आराजियात में बतौर उत्तराधिकार हक-हिस्सा बनता है। मगर खेताराम के देहान्त के बाद फौतेदगी म्युटेशन संख्या 526 मात्र खेताराम के दो पुत्रों कालूराम, पप्पाराम एवं एक अन्य मृतक पुत्र सांवलराम के पुत्र पोलाराम के नाम स्वीकृत कर दिया गया, जबकि खेताराम की खातेदारी भूमि में उसकी पत्नी एवं उसके सभी पुत्र-पुत्रियों का समान हक-हिस्सा बनता है। चूंकि फौतेदगी म्युटेशन संख्या 526 मृतक खातेदार खेताराम के सभी उत्तराधिकारियों के नाम स्वीकृत नहीं किया गया है, इसलिए उक्त म्युटेशन संख्या 526 को निरस्त करते हुए मृतक खातेदार खेताराम की खातेदारी की उपरोक्त आराजियात का खेताराम के सभी उत्तराधिकारियों के नाम म्युटेशन स्वीकृत किये जाने का आदेश पारित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपील जरिये अपीलाधीन आदेश स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार लूणी को रिमाण्ड कर वादग्रस्त आराजियात के मृतक खातेदार खेताराम पुत्र कुम्भाराम के सभी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों की जांच की जाकर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही नये सिरे से पूर्ण करने के निर्देश दिये। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने यह आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष अपील संख्या 335/2017 प्रस्तुत की है। इसी प्रकार उक्त अपील संख्या 21/2013 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27 मई 2014 की अनुपालना में तहसीलदार लूणी द्वारा कार्यवाही करते हुए पारित आदेश दिनांक 04 सितम्बर 2014 एवं उसके अनुसरण में स्वीकृत म्युटेशन संख्या 1551 ग्राम कांकाणी दिनांक 08 सितम्बर 2014 के खिलाफ अपीलाण्ट्स ने अदालत हाजा के समक्ष अपील संख्या 446/2017 प्रस्तुत की है।



उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों एवं बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 21/2013 में वर्तमान अपीलाण्ट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि प्रश्नगत म्युटेशन संख्या 526 स्वीकृत होने के बाद एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत होने के पूर्व की अवधि में वर्तमान अपीलाण्ट्स द्वारा वादग्रस्त आराजियात जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख खरीद की जा चुकी थी और खरीद करने के बाद वर्तमान अपीलाण्ट्स का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज भी किया जा चुका था, उक्त भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भी कराया जा चुका था एवं भूमि अवाप्ति बाबत कार्यवाही भी चल रही थी। अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ होने पर नोटिसेज भी वर्तमान अपीलाण्ट्स के नाम जारी हुए, जिनका जबाब भी भूमि अवाप्ति अधिकारी लूणी के समक्ष पेश किया गया एवं विवाद होने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका पेश की गयी, जो विचाराधीन है। वर्तमान रेस्पों. को इन तथ्यों की जानकारी होते हुए भी जानबूझ कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं किया।

अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील में अपीलाण्ट्स एवं रेस्पों. एक ही परिवार से संबंधित व्यक्ति है जिन्होंने परस्पर मिलीभगत करते हुए वर्तमान अपीलाण्ट्स (जो वादग्रस्त आराजियात के सद्भावी क्रेता एवं अभिलिखित खातेदार है) को प्रथम अपील में पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया। जो न्यायोचित एवं विधिसम्मत: नहीं है। प्रथम अपील के संबंधित सभी रेस्पों. के सम्मन राजूराम द्वारा प्राप्त करना दर्शाया गया है, सम्मन की रिपोर्ट पर उक्त राजूराम के बालिग

सहाय्य वाक्य  
जोधपुर

अथवा नाबालिग होने संबंधित कोई हवाला नहीं है और न ही तामीलकुनिन्दा द्वारा सभी आसामी एक ही परिवार के सदस्य होकर उक्त राजूराम के साथ रहना अंकित किया गया है। राजूराम को सम्मनों की पुस्त पर आसामी फूलीदेवी का पौत्र एवं पप्पाराम का भतीजा होना दर्शाया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय में सम्मनों की निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप सम्यक एवं समुचित तामील नहीं हुई है। इतना ही नहीं, प्रश्नगत म्युटेशन संख्या 526 वर्ष 1989 में भरा गया, जिसके करीब 24 साल बाद अत्याधिक विलम्ब का कोई संतोषजनक एवं विश्वसनीय कारण प्रकट किये बिना ही प्रथम अपील पेश की गयी जिसमें वादग्रस्त आराजियात बाबत तत्समय राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित खातेदारान का उल्लेख भी नहीं किया गया। विलम्ब क्षमा किये जाने बाबत प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष जो मियाद प्रार्थनापत्र पेश किया गया, उसमें सर्वथा मिथ्या एवं बनावटी तथ्यों का समावेश किया गया है। मियाद प्रार्थनापत्र जो कि साम्या के आधार पर आधारित होता है एवं एक साम्यिक उपचार है जिसमें पक्षकार को न्यायालय के समक्ष सही तथ्य लेकर उपस्थित होना चाहिये अन्यथा ऐसा पक्षकार किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहता है। मगर आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया गया और न ही प्रथम अपील अन्दर मियादशुमार किये जाने संबंधित कोई ठोस निष्कर्ष दिया गया है।

इतना ही नहीं, मौके पर वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान रेस्पों. का कब्जा काश्त भी नहीं है। खेताराम की उक्त पुत्रियां अर्थात् रेस्पों. संख्या 1 से 4 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से कोई भी अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं थी, उसके उपरान्त भी सही तथ्यों को छानबीन किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी दृष्टि से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27 मई 2014 पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या 21/2013 में पारित उक्त आदेश दिनांक 27 मई 2014 के अनुसरण में तहसीलदार लूणी द्वारा विधिवत एवं समुचित जांच किये बिना ही रिमाण्ड प्रकरण संख्या 9ए/2014 में आदेश दिनांक 04 सितम्बर 2014 पारित कर म्युटेशन संख्या 1551 ग्राम कांकाणी दिनांक 08 सितम्बर 2014 स्वीकृत कर दिया गया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मत: नहीं है।

मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने मियाद-प्रार्थनापत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए जानकारी की दिनांक से उक्त दोनों अपीलें अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार किये जाने एवं अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने का निवेदन किया। साथ ही धारा 96 सीपीसी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए उक्त अपीलें प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन भी किया।

अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता ने एआईआर 2020 सुप्रीम कोर्ट 3717 (पेरा 63 व 64), 2015(1) डब्ल्युएलसी (राज.) 687, 2014 डब्ल्युएलसी (राज.) 573, 2015(3) एससीसी 695 एवं 2014(2) डब्ल्युएलसी (एससी सिविल) 319 की नजीरें भी पेश की।

जबाब में रेस्पों. संख्या 1 से 4 के अधिवक्तागण ने कथन किया कि रेस्पों. संख्या 1 से 4 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत



म्युटेशन संख्या 526 को निरस्त करवाने हेतु प्रथम अपील इस आधार पर पेश की गयी कि ग्राम कांकाणी में वर्तमान रेस्पो. संख्या 1 से 12 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 931 रकबा 29 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा संख्या 934 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा कुल रकबा 36 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है जो उनकी पुश्तैनी भूमि है तथा वर्तमान रेस्पो. संख्या 1 से 12 स्व. खेताराम के वारिसान होकर समान हक-हिस्से के हकदार है। जबकि उक्त म्युटेशन में खेताराम के दो पुत्रों एवं एक पौत्र का नाम ही दर्ज किया गया और चार पुत्रियों (रेस्पो. संख्या एक से चार) सहित अन्य वारिसान का नाम दर्ज नहीं किया गया है। अतः उक्त म्युटेशन संख्या 526 निरस्त करते हुए खेताराम के सभी वारिसान का उपरोक्त आराजियात बाबत नाम दर्ज किये जाने का आदेश जारी किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार लूणी को प्रकरण रिमाण्ड कर खेताराम पुत्र कुम्भाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान की जांच की जाकर नियमानुसार नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित किये जो न्यायोचित एवं विधिसम्मत होने से बहाल रखे जाने योग्य है। साथ ही उक्त आदेश दिनांक 27 मई 2014 के अनुसरण में तहसीलदार लूणी द्वारा रिमाण्ड प्रकरण संख्या 9ए/2014 में कार्यवाही प्रारम्भ कर हळका पटवारी कांकाणी को म्युटेशन संख्या 526 में दर्ज खसरा नम्बरान के खातेदार स्व. खेताराम पुत्र कुम्भाराम जाति कुम्हार निवासी कांकाणी के प्रथम श्रेणी के वारिसान की मजमा-ए-आम में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। तत्संबंधित पटवारी हळका की रिपोर्ट दिनांक 14 अगस्त 2014 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा जारी प्रमाणपत्र दिनांक 08 अगस्त 2014 भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है जिसमें भी स्व. खेताराम पुत्र कुम्भाराम के वारिसान का विवरण अंकित है। इस प्रकार तहसीलदार लूणी द्वारा विधिवत एवं समुचित जांच करते हुए आदेश दिनांक 04 सितम्बर 2014 पारित कर म्युटेशन संख्या 1551 ग्राम कांकाणी दिनांक 08 सितम्बर 2014 स्वीकृत किया गया है, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मत है।



रेस्पो. संख्या एक से चार के अधिवक्तागण ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 40 के स्पष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा उक्त म्युटेशन संख्या 526 स्वीकृत किया जाना जाहिर किया और कथन किया कि ऐसे म्युटेशन का खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। यह भी कथन किया कि उक्त म्युटेशन स्वीकृत किये जाने के पूर्व संबंधित पटवारी हळका द्वारा खेताराम के वारिसान बाबत कोई समुचित जांच तक नहीं की गयी, जबकि लेण्ड रिकार्ड्स रूल्स के नियम 119 से 148 के प्रावधानों के अनुसार पटवारी हळका एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की विधिवत जांच करवाने के बाद ही जांच व साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में संबंधित पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद ही नियम 121(4) के तहत नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिये था।

इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल राजस्थान के द्वारा भी अपने न्यायिक दृष्टान्तों में सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि किसी खातेदार का देहान्त हो जाने के बाद उसके विधिक वारिसान को सुनवाई एवं नोटिस का अवसर दिये बिना उनके खिलाफ किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी होता है।

राजस्थान सम्मानीय आचार्य  
जोधपुर

वर्ष 2013 में भूमाफियाओं द्वारा मौके पर आकर उक्त भूमि का कुछ हिस्सा खरीदना जाहिर करते हुए उन्हें मौके से भूमि छोड़ कर चले जाने की धमकी देने पर रेस्पो. को अपने पिता के देहान्त के उपरान्त स्वीकृत किये गये फौतेदगी म्युटेशन बाबत जानकारी हुई, तब रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त म्युटेशन को जरिये अपील चुनौती दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है।

वादग्रस्त आराजियात जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख वर्तमान अपीलाण्ट्स की कयशुदा होने एव राजस्व रिकार्ड में वर्तमान अपीलाण्ट्स बतौर खातेदार दर्ज होने आदि बाबत अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत तर्कों के संबंध में रेस्पो. संख्या एक से चार के अधिवक्ता ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात वर्तमान रेस्पो. संख्या 1 से 12 के पूर्वज खेताराम की खातेदारी की भूमि थी, खेताराम के देहान्त के बाद खेताराम के प्रथम श्रेणी के सभी वारिसान का उक्त आराजियात में हक-हिस्सा बनता है। ऐसी स्थिति में मृतक खेताराम के पुत्रों के हिस्से की सीमा तक ही अपीलाण्ट्स द्वारा भूमि खरीद की जा सकती थी, उनके हक-हिस्से से अधिक भूमि खरीद करने के लिए केता स्वयं जिम्मेदार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील में वर्तमान अपीलाण्ट्स के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं मांगा गया, अतः उन्हें पक्षकार बनाये जाने की कतई आवश्यकता नहीं थी। पंजीबद्ध विक्रय विलेखों के माध्यम से अपने हिस्से से अधिक भूमि बाबत अपीलाण्ट्स के पक्ष में किये गये बेचान प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी होने के कारण औपचारिक तौर पर उक्त बेचान निरस्त करवाने अथवा खातेदारी अधिकारो की घोषणा का दावा पेश करने की भी आवश्यकता नहीं है।



अंत में रेस्पो. संख्या 1 से 4 के अधिवक्तागण ने आलौच्य दोनों अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

रेस्पो. संख्या 13 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन किया और आलौच्य अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट प्रथम अपील की कार्यवाही में पक्षकार नहीं रहे हैं, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश बाबत समुचित समय में उन्हें जानकारी नहीं होने संबंधित मियाद प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों एवं इस संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स की बहस पर विश्वास करते हुए उक्त दोनों अपीलें 2015(1) डब्ल्युएलसी (राज.) 687, 2014 डब्ल्युएलसी (राज.) 573 एवं 2015(3) एससीसी 695 के आलोक में अन्दर मियादशुमार की जाती है। साथ ही प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धारा 96 सीपीसी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट्स को अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, इस संबंध में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर मनन करते हुए यह पाया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात पूर्व में खातेदार खेताराम की खातेदारी की

भूमि होने तथा वर्तमान रेस्पो. संख्या 1 से 12 उक्त खातेदार खेताराम के वारिसान होने के संबंध में कोई विवाद नहीं है। अपील संख्या 446/2017 से संबंधित तहसीलदार लूणी की पत्रावली संख्या 9ए/2014 में तहसीलदार लूणी द्वारा तलब किये जाने पर प्रस्तुत पटवारी हळका की जांच रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त आराजियात के स्व. खातेदार खेताराम पुत्र कुम्भाराम जाति कुम्हार के वर्तमान रेस्पो.संख्या 1 से 12 प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होना प्रकट होता है। इसकी पुष्टि उक्त पत्रावली में उपलब्ध ग्राम पंचायत शिकारपुरा पंचायत समिति लूणी जिला जोधपुर द्वारा जारी प्रमाणपत्र दिनांक 08 अगस्त 2014 से भी होती है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 40 के अनुसार किसी खातेदार का देहान्त होने के बाद उसके प्रथम श्रेणी के सभी वारिसान को ऐसी खातेदारी भूमि में समान हक एवं अधिकार उत्पन्न हो जाता है। लेण्ड रिकार्ड्स रूल्स के नियम 119 से 148 के प्रावधानों के अनुसार हळका पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की विधिवत जांच करवाने के बाद ही जांच व साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में संबंधित पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद ही नियम 121(4) के तहत नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिये। मगर आलौच्य मामले में वादग्रस्त आराजियात के खातेदार खेताराम के देहान्त के बाद फौतेदगी म्युटेशन संख्या 526 स्वीकृत किये जाने के पूर्व इस प्रकार की कार्यवाही किया जाना अभिलेख पर उपलब्ध नहीं हैं। अदालत हाजा अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 4 के इस तर्क से भी सहमत है कि म्युटेशन संख्या 526 में मृतक खेताराम के सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान का नाम दर्ज नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त म्युटेशन के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारान को उत्तराधिकार के आधार पर वास्तव में प्राप्त होने वाले हक-हिस्से से अधिक भूमि का बेचान करने का कोई विधिक अधिकार उत्पन्न नहीं होता है और ऐसी स्थिति में हिस्से से अधिक भूमि का किया गया बेचान प्रारम्भ से ही शून्य-प्रभावी होने के कारण औपचारिक तौर पर चुनौती दी जाकर अपास्त कराये जाने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। साथ ही वर्तमान अपीलाण्ट्स के खिलाफ रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय में कोई अनुतोष नहीं चाहा, अतः उन्हें पक्षकार बनाया जाना अनिवार्य नहीं रहता है।



अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर एआईआर 2020 सुप्रीम कोर्ट 3717 (पैरा 63 व 64) का अदालत हाजा सम्मान करती है, किन्तु वर्तमान मामला हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पिता के देहान्त के बाद पुश्तैनी सम्पत्ति में पुत्रियों के हिस्से, जिसके संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में प्रारम्भ से ही प्रावधान किया हुआ है, बाबत म्युटेशन से संबंधित है। अतः तथ्यों की भिन्नता के कारण उक्त नजीर आलौच्य प्रकरण में लागू नहीं होती है।

**वधि. सम्भागाय बाबुछ**  
**जोधपुर**

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 40 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मृतक खेताराम के सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान बाबत समुचित जांच कर वादग्रस्त आराजियात बाबत नये सिरे से फौतेदगी म्युटेशन की कार्यवाही करने बाबत संबंधित तहसीलदार को निर्देश देते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिससे अदालत हाजा सहमत है। अतः इस संबंध में प्रस्तुत अपील संख्या 335/2017 स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है।

प्रथम अपील संख्या 21/2013 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27 मई 2014 के अनुसरण में तहसीलदार लूणी द्वारा रिमाण्ड प्रकरण संख्या 9ए/2014 में कार्यवाही प्रारम्भ

राजस्व अपील संख्या 335/2017 श्रीमती चंचल मेहता बनाम श्रीमती केसीदेवी वगैरह एवं  
राजस्व अपील संख्या 446/2017 श्रीमती चंचल मेहता बनाम श्रीमती केसीदेवी वगैरह

कर हळका पटवारी कांकाणी को म्युटेशन संख्या 526 में दर्ज खसरा नम्बरान के खातेदार स्व. खेताराम पुत्र कुम्भाराम जाति कुम्हार निवासी कांकाणी के प्रथम श्रेणी के वारिसान की मजमा-ए-आम में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। तत्संबंधित पटवारी हळका की रिपोर्ट दिनांक 14 अगस्त 2014 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। साथ ही ग्राम पंचायत शिकारपुरा द्वारा जारी प्रमाणपत्र दिनांक 08 अगस्त 2014 भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है जिसमें भी स्व. खेताराम पुत्र कुम्भाराम के वारिसान का विवरण अंकित है।

इस प्रकार तहसीलदार लूणी द्वारा विधिवत एवं समुचित जांच करते हुए आदेश दिनांक 04 सितम्बर 2014 पारित कर म्युटेशन संख्या 1551 ग्राम कांकाणी दिनांक 08 सितम्बर 2014 स्वीकृत किया गया है, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता एवं औचित्य नजर नहीं आता है।



उपरोक्त समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में उक्त दोनों अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (प्रथम) जोधपुर द्वारा प्रथम अपील संख्या 21/2013 श्रीमती केसीदेवी व अन्य बनाम पप्पाराम इत्यादि में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 मई 2014 तथा उक्त आदेश की अनुपालना में तहसीलदार लूणी द्वारा प्रकरण संख्या 9ए/2014 श्रीमती केसीदेवी व अन्य बनाम पप्पाराम इत्यादि में अपीलाधीन आदेश दिनांक 04 सितम्बर 2014 एवं इसके अनुक्रम में स्वीकृत म्युटेशन संख्या 1551 ग्राम कांकाणी दिनांक 08 सितम्बर 2014 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त  
जोधपुर  
जोधपुर